Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XI, Issue No. 22, July-2016, ISSN 2230-7540

सतत विकास के लिए वैश्विक भूमिका के नवीन आयाम

Dr. Ashish Shukla*

Lecturer, Department of Geography, B.S.R. Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan

शोध सारांश – ***सतत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के धीरज के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक तक विकसित हुई जब लोगों को पर्यावरण पर औद्योगीकरण के हानिकारक प्रभावों के बारे में पता चला। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों की कमी और आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन प्रणालियों के धीमा या बंद होने के डर से उत्पन्न हुआ। यह अवधारणा कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के अनमोल और सीमित संसाधनों के लालची दुरुपयोग का परिणाम है जो उत्पादन प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। सतत विकास कोयला, तेल और पानी जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और समान विकास नीतियों के संबंध में दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करता है।***

मुख्य बिंदु: - सतत विकास, भारत और लक्ष्य 17 के लिए विकल्प, सतत विकास के लिए उद्देश्य, नीति और संस्थागत सामंजस्य, बहु-हितधारक भागीदारी, सांख्यिकी, निगरानी और जवाबदेही, भारत की अग्रणी भूमिका, मुद्दों के बीच पारस्परिक संबंध से संबंधित रणनीतिक समर्थन।

----------X----------

परिचय:

सतत विकास की अवधारणा 1962 में शुरू हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने 'द साइलेंट स्प्रिंग' नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक कीटनाशक डीडीटी का उपयोग करके वन्यजीवों को होने वाले नुकसान पर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पहलुओं के बीच अंतर्संबंध के अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुई। 1968 में, प्राणीशास्त्री शास्त्रीबोल इर्लिच ने अपनी पुस्तक 'पॉपुलेशन बॉम्ब' प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव आबादी, संसाधन शोषण और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। 1969 में, पृथ्वी की गैर-आधिकारिक संख्या फ्रेंड्स बनाई गई जो पर्यावरण की रक्षा में भाग लेने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थी। 1971 में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 'प्रदूषण खर्च' के सिद्धांत को तैयार किया, जिसमें कहा गया कि प्रदूषणकारी देशों को उनकी कीमत चुकानी चाहिए। 1972 में, क्लब ऑफ रोम, मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक नॉलजी के युवा वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपनी रिपोर्ट 'लिमिटस टू ग्रोथ' प्रकाशित की, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई थी यदि वर्तमान विकास दर धीमी नहीं हुई थी।

1972 में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहली बार विश्व समुदाय में यह सहमति बनी कि पर्यावरण संकट एक गंभीर मुद्दा है। इसने 'सम्यक् राष्ट्र राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' की स्थापना की। स्थायी विकास की अवधारणा पहली बार 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन के प्रकाशन के साथ विकसित हुई थी, जो हमारे सामान्य भविष्य की रिपोर्ट है। इसमें सतत विकास को विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। 1992 में, संयुक्त राष्ट्र ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। यह पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिसंबर 1992 में, सम्यक राष्ट्र सतत विकास आयोग का गठन सतत विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया गया था। इसी क्रम में, 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, 2005 में मॉन्ट्रियल शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2005 में न्यूयॉर्क में वनों के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन। दिसंबर 2007 में बाली द्वीप, इंडोनेशिया में सम्मेलन आयोजित किया गया था।

www.ignited.in

उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. सतत विकास की चुनोतियों को स्पष्ट करना।
2. सतत विकास की समस्याओं एवं महत्व को निर्देशित करना।
3. सतत विकास में का मानव जीवन की भूमिका को समझना।

परिकल्पना:

1. वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
2. सतत विकास के प्रबंधन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्ययन विधि:

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आकड़ो का प्रयोग किया गया है। आकड़ो के संकलन डायरी, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र एवं विभिन्न वेबसाइट एवं पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक है।

सतत विकास के लिए चुनौतियां:

यह चुनौती है जो अन्य 16 लक्ष्यों के संबंध में हमारे प्रयासों को एकजुट करती है। एक महत्वाकांक्षी और परस्पर वैश्विक विकास एजेंडा को नई वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता है। इसमें विकास के लिए धन की व्यवस्था करना, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह की व्यवस्था करना और डेटा के संकलन और विश्लेषण की पुष्टि करना शामिल है। जब वैश्विक विकास के लिए दुनिया एकजुट हो रही है, तब भी 2014 में सरकारी विकास सहायता +135.2 बिलियन थी, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। सरकारी विकास सहायता के रूप में अब तक केवल 7 देशों ने अपनी सकल राष्ट्रीय आय का 0.7% देने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा किया है। हालाँकि दुनिया भर में लोग भौतिक और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से करीब आए हैं, लेकिन 4 बिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं और उनमें से 90% विकासशील देशों में हैं। इंटरनेट उपयोग में लिंग अंतर कम से कम विकसित देशों में 29% तक बढ़ जाता है।

उपाय क्या है:

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, निजी संसाधनों के खरबों के बंधनों को जुटाने, पुनर्निर्देशित और मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। विशेष रूप से विकासशील देशों में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है। इनमें स्थायी ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शामिल हैं। निजी क्षेत्र को एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करनी चाहिए। ऐसे निवेशों में तंत्र, विनियमों और प्रोत्साहन संरचनाओं का समर्थन, समीक्षा और निगरानी करना, निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए नए उपकरण देने होंगे। शीर्ष निगरानी निकायों जैसे राष्ट्रीय निगरानी तंत्र और विधानमंडल द्वारा निगरानी के कामकाज की पुष्टि की जानी चाहिए।

भारत और गोल 17:

भारत सरकार इस नई वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस साझेदारी को क्षेत्र और दुनिया के साथ नेटवर्क स्थापित करने के लिए देश के प्रयासों से मजबूत किया गया है। विकासशील देशों के बीच सहयोग इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समान रूप से महत्वपूर्ण शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और इसके नए विकास बैंक और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन, साथ ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और दुनिया भर में इस तरह के कार्यक्रमों में भारत की सदस्यता और नेतृत्व हैं।

सतत विकास के उद्देश्य:

विकासशील देशों को करों और अन्य राजस्व एकत्र करने की क्षमता में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन सहित घरेलू संसाधन जुटाना प्रणाली को मजबूत करना।

विकसित देशों द्वारा सरकारी विकास सहायता के लिए उनके प्रस्तावों को पूरा करना। इसमें कई विकसित देशों का संकल्प

www.ignited.in

शामिल है कि वे अपनी सकल राष्ट्रीय आय का 0.7% विकासशील देशों को सरकारी विकास सहायता के रूप में और 0.15% से 0.20% कम से कम विकसित देशों को देने का लक्ष्य प्राप्त करें। सरकारी विकास सहायता प्रदाताओं को अपनी सकल राष्ट्रीय आय के कम से कम 0.20% को कम से कम विकसित देशों को सरकारी विकास सहायता के रूप में स्थापित करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कई स्रोतों से विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना:

विकासशील देशों को समन्वित नीतियों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए। इसका उद्देश्य उचित ऋण का वित्त करने, ऋण राहत और ऋण की स्थिति को कम करने और अत्यधिक ऋणी गरीब देशों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए विदेशी ऋण की समस्या को हल करना है।

कम से कम विकसित देशों के लिए निवेश प्रोत्साहन व्यवस्था को अपनाना और लागू करना।

प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए और विकसित और विकासशील देशों के बीच, विकासशील देशों और त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अधिक से अधिक ज्ञान साझा करने के लिए उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान विकसित करने के लिए। इसके लिए मौजूदा तंत्रों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर समन्वय को बेहतर बनाना और वैश्विक प्रौद्योगिकी सहायता तंत्र की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

विकासशील देशों को पारस्परिक रूप से सहमति के आधार पर रियायती और अधिमान्य शर्तों सहित लाभकारी शर्तों पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास, हस्तांतरण, प्रसार और समन्वय के लिए प्रोत्साहित करना।

2017 तक कम से कम विकसित देशों के लिए प्रौद्योगिकी बैंक और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमता निर्माण तंत्र को पूरी तरह से लागू करने के लिए, और विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहित सक्षम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना।

क्षमता निर्माण:

विकासशील देशों में प्रभावी और लक्षित क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएं ताकि सभी सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन किया जा सके। इसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच, विकासशील देशों के बीच त्रिकोणीय सहयोग शामिल है।

व्यापार:

विश्व व्यापार संगठन के तहत एक सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुला, गैर-भेदभावपूर्ण और समान-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना। इसमें दोहा विकास एजेंडा के तहत संपन्न वार्ता शामिल है।

महत्वपूर्ण रूप से विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि, विशेष रूप से 2020 तक वैश्विक निर्यात में कम से कम विकसित देशों की हिस्सेदारी को दोगुना करना।

डब्ल्यूटीओ के निर्णयों के अनुरूप सभी विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार प्रविष्टि सुविधा का समय पर कार्यान्वयन। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम विकसित देशों से आयात के लिए लागू उत्पादन स्थल के लिए वरीयता के नियम पारदर्शी और सरल हों और बाजार में उनके प्रवेश को आसान बनाने में सहायक हों।

नीति और संस्थागत आम सहमति:

नीति समन्वय और नीति सामंजस्य के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना। सतत विकास के लिए नीति सामंजस्य बढ़ाना। गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए एक दूसरे की नीति क्षमता और नेतृत्व का सम्मान करना।

बहु-हितधारक भागीदारी:

सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करने और साझा करने के लिए बहु-हितधारक भागीदारी के रूप में सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने और पूरक।

सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और प्रबुद्ध समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना जो साझेदारी और संसाधन-एकत्रीकरण रणनीतियों की नींव पर प्रभावी हो।

सांख्यिकी, निगरानी और जवाबदेही:

आय, लिंग, आयु, नस्ल, नस्ल, प्रवासन की स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताओं द्वारा, राष्ट्रीय संदर्भों में उपयुक्त के रूप में, 2020 तक कम से कम विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील देशों सहित सभी विकासशील देशों के लिए क्षमता-निर्माण का समर्थन। आधार के आधार पर वितरित उच्च गुणवत्ता वाले सामयिक और विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि।

2030 तक सतत विकास के बारे में प्रगति के पैमानों को विकसित करने के वर्तमान प्रयासों को आगे बढ़ाना जो कि जीडीपी के पूरक हैं और विकासशील देशों में सांख्यिकीय क्षमता निर्माण का समर्थन करते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों:

हम दुनिया के कायाकल्प की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की एक ऐतिहासिक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक समृद्ध, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित दुनिया बनाना है।

17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए, राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने एक साथ बातचीत की और अगले 15 वर्षों तक सतत विकास को प्राप्त करने के लिए वैश्विक रास्ता अपनाया।

हमारी दुनिया का कायाकल्प:

सतत विकास लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई को प्रेरित करेंगेः - गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, लिंग समानता, जल और स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी ढांचा, उद्योग और नवाचार, असमानताएं स्थायी शहरों की कमी, उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिक प्रणाली, शांति और न्याय और भागीदारी। यह समग्र एजेंडा मानता है कि यह केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण समाज और अधिक संरक्षित और अधिक समृद्ध पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त है। यह मानता है कि शांति, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के कार्य एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परिवर्तन का हिस्सा हैं। इसमें सबसे अधिक मान्यता यह है कि वैश्विक और परस्पर चुनौतियों से लड़ने के लिए केवल वैश्विक और परस्पर समाधानों की आवश्यकता है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए सरकारों, व्यवसायों, प्रबुद्ध समाजों और व्यक्तियों के बीच नए सिरे से वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है।

जैसे ही हम 169 उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को अधिक टिकाऊ और अधिक मजबूत पथ पर ले जाया जाएगा।

किसी को पीछे न छोड़े:

2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल सार्वभौमिकता का सिद्धांत हैः 'कोई कसर नहीं छोड़ना'। इन उद्देश्यों को निष्पादित करने के लिए, यह आवश्यक है कि वे सभी सरकारों और कामकाजी लोगों के लिए प्रासंगिक हों। विकास अपने सभी आयामों में हर जगह, सभी के लिए समावेशी होना चाहिए और सभी की भागीदारी के साथ बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से सबसे असहाय और हाशिए पर।

भारत की अग्रणी भूमिका:

भारत सरकार 2030 के एजेंडे के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य भी शामिल है, जैसा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रधान मंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बयानों से स्पष्ट होता है। समावेशी विकास के लिए भारत की राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और "सबका साथ सबका विकास" नीति पहल सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं और भारत दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता का निर्धारण करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, "ये लक्ष्य हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की हमारी उभरती समझ को दर्शाते हैं।"

भारत में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में राष्ट्रीय कार्यवाही:

सतत विकास लक्ष्यों को समन्वित करने का काम NITI AAYOG, भारत सरकार को सौंपा गया है। NITI AAYOG ने अपने उद्देश्यों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों और योजनाओं की पहचान करना शुरू कर दिया है और हर उद्देश्य के लिए प्रमुख और सहायक मंत्रालयों की पहचान भी की है। उन्होंने पूरे सरकारी तंत्र में सतत विकास का एक दृष्टिकोण अपनाया है और इस बात पर जोर दिया है कि सतत विकास लक्ष्य

www.ignited.in

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में परस्पर जुड़े हुए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजनाओं की पहचान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ ही करें।

इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्थायी विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतकों को विकसित करने के लिए चर्चा का नेतृत्व कर रहा है। राज्य सरकारों के पास सतत विकास एजेंडा के संदर्भ में भारत की प्रगति की कुंजी है और उनमें से कई ने इन लक्ष्यों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकारों की निर्णायक भूमिका है:-

सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कुंजी राज्य सरकारों के हाथों में है क्योंकि वे सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने में सबसे अधिक सक्षम हैं कि कोई भी पीछे नहीं रहे। कई प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, सतत विकास लक्ष्यों के मूल में हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें इनमें से कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्थानीय सरकारों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है; 17 में से 15 सतत विकास लक्ष्य देश में स्थानीय सरकारों की गतिविधियों से सीधे संबंधित हैं। राज्य सरकारें सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवधारणा, योजना, बजट और विकास में गहरी रुचि ले रही हैं।

सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन

2015 के बाद की परामर्श प्रक्रिया के लिए समर्थन:-

भारत में, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर-वार्ता वार्ता, विकास और सतत विकास के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था, और व्यापक-आधारित परामर्श प्रक्रिया के समर्थन में आयोजित किया है जो नई वैश्विक एजेंडा प्रक्रिया की पहचान बन गया है, और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अदीस अबाबा और न्यूयॉर्क में वित्त। महासभा के दौरान चर्चा में सामाजिक संगठनों, अध्ययन संस्थानों और भारतीय मीडिया की भागीदारी का समर्थन किया गया है।

मुद्दों के बीच अंतर्संबंध से संबंधित रणनीतिक समर्थन

भारत में संयुक्त राष्ट्र देश की NITI AAYOG के लक्ष्यों के बीच अंतर्संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों का समर्थन करती है ताकि कोई भी पीछे न रहे और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन की वकालत करे। संयुक्त राष्ट्र NITI AAYOG और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों के बारे में चल रहे परामर्श का समर्थन किया है।

ताकि विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संगठनों और प्रबुद्ध समाज के विद्वानों को अलग-अलग सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा के लिए एकजुट किया जा सके। भारत में संयुक्त राष्ट्र, इन दिनों राज्य विकास का समर्थन कर रहा है ताकि राज्य स्तर पर प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीय रूप में अनुवाद किया जा सके।

निष्कर्ष:

एक सफल सतत विकास एजेंडा के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज के बीच भागीदारी आवश्यक है। ये 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य और उनके लक्ष्य पर जटिल चुनौतियाँ न तो प्रदेशों के भीतर और न ही राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सीमित हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और व्यवसाय इसे पूरा करने के लिए सरकारों के जितना योगदान कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बिना, नए आविष्कार और नए विचार पनप नहीं सकते हैं और महाद्वीपों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के बिना, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लैंगिक समानता के लिए जितना कानूनी प्रावधान आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण सामुदायिक समर्थन भी है। यदि हमारे महामारी वैश्विक हैं, तो उनके समाधान भी वैश्विक हैं। समावेशी भागीदारी साझा सोच और सामान्य लक्ष्यों की नींव पर खड़ी होती है, जो लोगों और पृथ्वी को केंद्र में रखती है और वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है।

सन्दर्भ सूची:

1. पर्यावरण और पारिस्थितिक अध्ययन, बी.बी.पी सिंह, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर
2. बाली क्लाइमेट डील, हिंदुस्तान टाइम्स, 16 दिसंबर 2007
3. आशीष कोठारी, प्श्रच्।, जुलाई - सितंबर 1989

4. गौरीशंकर राजहंस, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, नवभारत टाइम्स, 25 जुलाई 1992

5. राजनीतिक घोषणा और कार्यान्वयन की योजना, सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा, संयुक्त राष्ट्र, 2003

6. हमारा सामान्य भविष्य, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, ऑक्सफॉड प्रेस, दिल्ली, 1987

7. सतत विकास पर विशेष अंक, IJPA, IIPA, जुलाई - सितंबर 1993

8. डी. सी. बैरी और एस. बास, सतत विकास का मंचनः ए रिसोर्सबुक, अर्थस्कैन प्रकाशन, लंदन, 2002

9. एच. ई. डेल, बियॉन्ड ग्रोथः द इकोनॉमिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बीकन, बोस्टन, 1996

10. पर्यावरण भूगोल, सविंद्र सिंह, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर

Corresponding Author

Dr. Ashish Shukla*

Lecturer, Department of Geography, B.S.R. Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan